

27/5/25

~~बकावली पेश हुई। वकील वादी / पार्थी उप है।  
वकील पदावसान हुए हैं, पूर्व आदेशानुसार  
बकावली सिंगल केवियर बहाल बहस~~

सुनी गई। केवियर काली अखिलजल  
सुजा। सूचित किया जाकर केवियर सं

24/2024 अखिलजल बनाम धापुडेजी वर्णे  
निस्वारित/निर्णित की जाती है।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा. 0 पंज अस्माई  
निषेधाज्ञा स्वीकार की जाकर अपधीगठा  
को जरिये अस्माई निषेधाज्ञा मूल वाद  
के निस्वारण तक पाबन्द किया जाता है।

कि विवादित आराजी सं. नं० 104/1,  
104/11, 104/18, 104/20 वाले गान्ध

सिंगला पे. 0. 0 बक्सपुरा तहसील के  
मोंके व रिपोर्ट की यथा स्थिति बनाये


रहे। पञ्जावली के समार होकर



P. 7

आज्ञा विस्तृत रूप से

दाखिल हफ्तार को। आदेश खुले  
- यामालय मे खुला जाया।



जयपाल अधिकारी  
संभार लेक